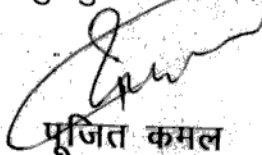
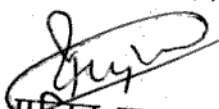


Order Sheet [Contd]

Case No. of 20

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	अतरिम दिनांक 15.07.2025 11:00 एएम उभयपक्ष आज दिनांक को नेशनल लोक अदालत दिनांक 13.09.2025 के सूचना पत्र के पालन में उपस्थित। प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया। राज्य द्वारा अभियोजन अधिकारी सुश्री हेमा वर्मा उपस्थित। अभियुक्त सविता तथा आरती सहित अधिवक्ता श्री आशीष नामदेव उपस्थित। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। उभयपक्ष द्वारा उपस्थित होकर उनके मध्य राजीनामा की संभावना होना व्यक्त किया। ऐसी दशा में वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चलाये जा रहे प्रदेशव्यापी 90 दिवसीय "मीडिएशन फॉर नेशन अभियान" अंतर्गत मध्यस्थता कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना उचित होगा। अतः प्रकरण राजीनामा हेतु मध्यस्थता केन्द्र तेंदूखेड़ा प्रेषित किया जाये। प्रकरण मध्यस्थता प्रतिवेदन हेतु नियत किया जाता है। प्रकरण मध्यस्थता प्रतिवेदन हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।  प्रजित कमल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तेंदूखेड़ा जिला दमोह (म.प्र.) पुनश्च: 05:00 पीएम प्रकरण मध्यस्थता प्रतिवेदन हेतु नियत है। प्रकरण में मध्यस्थता केन्द्र तेंदूखेड़ा में उभयपक्ष द्वारा सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में वार्तालाप उपरान्त मध्यस्थता कार्यवाही सफल प्रदान की गई। मध्यस्थता प्रतिवेदन में लेख है कि उभयपक्ष के	क. आ. उ. नीलमल्लिक क. आ. निरंजित। लोधी भा. लोधी

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है, तथा मध्यस्थता के माध्यम से उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं फरियादी प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः राजीनामा के आधार पर धारा 320 द.प्र.सं के अंतर्गत अभियुक्त सविता पति चेतसींग उम्र-38 साल, तथा आरती पिता चेतसींग उम्र-20 साल, दोनों निवासी- ग्राम हरई थाना तेंदूखेड़ा जिला दमोह को धारा 294, 323 सहपठित धारा 34 एवं 506 भा.दं.वि. के अपराध से <u>दोषमुक्त</u> किया जाता है। अभियुक्तगण के पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति पेश नहीं। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।  पूजित कमल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तेंदूखेड़ा जिला दमोह (म.प्र.)	डा. A. H. Jaiswal  डा. A. H. Jaiswal  आरती लोधी